बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006

एस०ओ० संख्या 11/आर०-2-201/97-खंड-1647 दिनांक : 10 अगस्त 2006 -

चूकिँ विवाह संबंधित पक्षों के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है और;

चूकिँ विवाह की प्रक्रिया संबंधित पक्षों की आस्था एवं धर्म पर आधारित विभिन्न विधानों से दिग्दर्शित है; और चूकिँ वर्त्तमान में विवाह के निबंधन की कोई बाध्यता नहीं है, और

चूकिँ बिवाह का निबंधन नहीं होने से प्रभावित व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाना पड़ता है, और

चूकिँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसफर पिटिशन (C) सं०-291/2005 में दिनांक 14 फरवरी 2006 के आदेश द्वारा सभी राज्यों को विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु नियम बनाने का निर्देश दिया है।

अतः बिहार राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 162 सह पठित अनुच्छेद 154 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में लागू होने के लिए विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-
   (i) यह नियमावली बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 कही जा सकेगी;
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और इस राज्य में निवास करने वाले सभी भारतीय नागरिकों के बिहार राज्य में सम्पन्न विवाह संस्कार के संबंध में लागू होगी;
   (iii) यह राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएँ :- इन नियमों में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो :-
   (i) "विवाह के सम्पन्न" होने से अभिप्रेत है किसी भी रीति से व्यक्तिगत नियम अथवा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 या अन्य किसी अधिनियम के अधीन विवाह का प्रतिज्ञान (Solemnization);
   (ii) "विवाह निबंधक" से अभिप्रेत है विवाह सम्पन्न होने के स्थान से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और नगर क्षेत्रों में संबंधित नगर निकाय के वार्ड आयुक्त/वार्ड पार्षद;
   (iii) "विवाह पंजी" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 5(2) के अधीन संधारित पंजी;
   (iv) "विवाह उप-महानिबंधक" से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त संबंधित क्षेत्र के अवर निबंधक;
   (v) "विवाह महानिबंधक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला के समाहर्त्ता;
   (vi) "निबंधन महानिरीक्षक" से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निबंधन महानिरीक्षक;
   (vii) "विवाह के निबंधन" से अभिप्रेत है इस नियमवाली के नियम-3 के अंतर्गत विवाह का निबंधन;
   (viii) "विवाहों के अभिलेख" से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम-3, 5 एवं 8 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन-पत्र, संधारित पंजी एवं विवाह उप-महानिबंधक के कम्प्यूटर में संधारित सूचनायें;
   (ix) "सामुदायिक विवाह स्थल" से अभिप्रेत है, वे स्थान जहाँ सामान्यतः विवाह सम्पन्न होते हैं। इनमें सम्मिलित हैं - सामुदायिक भवन, क्लब, होटल, सार्वजनिक स्थल, मंदिर, गिरिजाघर एवं अन्य धार्मिक स्थल आदि।

(x) "विवाह प्रतिवेदक" से अभिप्रेत है सामुदायिक विवाह स्थल का वह व्यवस्थापक जिसे विवाह निबंधक द्वारा इस नियमावली के नियम 5(1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो।

3. विवाहों का निबंधन :- प्रत्येक विवाहित युगल अपने विवाह के सम्पन्न होने के 30 दिनों के अन्दर विवाह निबंधक के समक्ष इस नियमावली के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया से अपने विवाह को अनिवार्यतः निबंधित करायेंगे।

परन्तु किसी कारणवश 30 दिनों के अन्दर विवाह निबंधित नहीं कराये जाने की स्थिति में विवाह का निबंधन नियम '[12(1)] में उल्लिखित दंड देकर कराया जा सकेगा।

4. निबंधन विवाह की बैधता का प्रमाण नहीं होगा :- इस नियमावली के अन्तर्गत विवाह का निबंधन किसी विधान के अन्तर्गत विवाह की बैधता का अकाट्य साक्ष्य नहीं होगा। यह विवाह सम्पन्न होने के संबंध में एक खण्डनीय अवधारणा (Rebuttable Presumption) होगा।

5. विवाह के निबंधन की प्रक्रिया :- (1) प्रत्येक विवाहित युगल इस नियमावली के परिशिष्ट के प्रपत्र "क" में अपेक्षित वर-वधू के फोटो एवं संबंधित के साथ विवाह निबंधक के समक्ष उपस्थित होकर तीन प्रतियों में आवेदन पत्र में विहित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों पक्षों के एक-एक गवाह भी विवाह के विधिवत सम्पन्न होने की पुष्टि में विवाह निबंधक के समक्ष आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन की पहली प्रति (प्रपत्र क-1) आवेदक के, दूसरी (प्रपत्र क-2) विवाह उप महानिबंधक के और तीसरी (प्रपत्र क-3) विवाह निबंधक के उपयोग के लिए होगी।

परन्तु विवाह निबंधक अपने क्षेत्र के सामुदायिक विवाह स्थल के व्यवस्थापकों को विवाह प्रतिवेदक के रूप में नियुक्त कर उन्हें विवाहित युगल के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

(2) विवाह निबंधक उपरोक्त आवेदन-पत्र की सूचनाओं को इस नियमावली के परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' में संधारित विवाह पंजी में दर्ज कर आवेदन की सभी प्रतियों पर क्रम संख्या (जो आवेदन संख्या कहलायगी) अंकित कर विवाहित युगल को आवेदन पत्र की आवेदक संबंधी प्रति उसमें अंकित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर वापस कर देंगे।

परन्तु सामुदायिक स्थलों में सम्पन्न विवाह के संबंध में विवाहित युगल एवं उनके गवाहों द्वारा विवाह प्रतिवेदक के समक्ष आवेदन पत्र पर घोषणा पत्र में किये गये हस्ताक्षरों को विवाह निबंधक के समक्ष किया गया ही समझा जायेगा;

परन्तु और कि विवाह प्रतिवेदक के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर आवेदन संख्या देने की कार्रवाई विवाह निबंधक द्वारा ही की जायेगी और यदि उन्हें कुछ जाँच करने की आवश्यकता अनुभव होती है तो वे जाँच कर सकेंगे।

(3) विवाह निबंधक आवेदन पत्र की शेष दो प्रतियों में से एक प्रति (प्रपत्र क-2) अपने क्षेत्र के विवाह उप महानिबंधक को अगले माह की 15वीं तारीख तक उपलब्ध करा देंगे और प्राप्ति रसीद को अपने अभिलेख में संधारित करेंगे। विवाह निबंधक की प्रति (प्रपत्र क-3) वे अपने अभिलेख में संधारित रखेंगे।

(4) विवाह उपमहानिबंधक अपने क्षेत्र की विवाह संबंधी सूचनाओं को अपने कार्यालय के कम्प्यूटर में संधारित करेंगे। पंचायत वार/वार्ड वार प्रपत्र 'ख-2' में संधारित करने के अतिरिक्त वे प्रपत्र 'ख-1' में मुखिया/वार्ड आयुक्तों के नाम कार्यकाल एवं हस्ताक्षर के नमूनों का एक अभिलेख संधारित करेंगे;

परन्तु जब तक विवाह उपमहानिरीक्षक के कार्यालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं होती है, वे इसे पंजी में संधारित करेंगे।

(5) विवाह निबंधक को विवाह निबंधित करने के संबंध में यदि किसी मामले में प्रत्यक्षतः कोई आपत्ति प्रतीत होती है तो वे आवेदन प्रपत्र 'क-2' पर अपनी आपत्तियाँ अंकित कर अपने क्षेत्र के विवाह उप महानिबंधक से मार्गदर्शन की याचना करेंगे। ऐसे मामलों में भी विवाह पंजी में प्रविष्टि की जायेगी और उसके निर्धारित कॉलम में आपत्तियों को अंकित किया जायेगा। ऐसे मामलों में तत्काल विवाह निबंधन संख्या नहीं

दी जायेगी। विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र भी तत्काल निर्गत नहीं किया जायेगा। विवाह निबंधक विवाहित युगल को संबंधित विवाह उपमहानिबंधक के समक्ष उपस्थित होने का परामर्श देंगे।

(6) विवाह उपमहानिबंधक ऐसे मामलों में आवश्यक जाँच कर विवाह निबंधक को आपत्तियों के संबंध में अपने मार्गदर्शन से अवगत करायेंगे जिसे विवाह निबंधक पंजी के संबंधित कॉलम में दर्ज किया जायेगा।

विवाह उप महानिबंधक द्वारा विवाह निबंधन की अनुमति दिये जाने पर ही ऐसे मामलों में विवाह निबंधन संख्या अंकित की जायेगी अन्यथा पंजी में निबंधन संख्या नहीं भरी जायेगी।

6. **विवाह उप महानिबंधक द्वारा निबंधन संबंधी आपत्तियों का निस्तार** :- जिन मामलों में विवाह निबंधक द्वारा विवाह पदाधिकारी से विवाह को निबंधित करने के संबंध में नियम 5(5) के अंतर्गत मार्गदर्शन की याचना की गई हो, वे विवाहित युगल और उनके गवाहों को सुनकर, प्राप्त आपत्तियों की आवश्यकतानुसार जाँच कर उन पर लागू विवाह विधि में अंकित प्रावधानों के आलोक में समीक्षा करेंगे और लिखित आदेश द्वारा अपना निष्कर्ष अंकित करेंगे। इन निष्कर्षों को वे विवाह निबंधक को भेजेंगे और उसकी एक प्रति विवाहित युगल को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **विवाह उप महानिबंधक के निष्कर्षों के विरूद्ध अपील** :- नियम 6 के अन्तर्गत विवाह उप महानिबंधक द्वारा अंकित निष्कार्षों के विरूद्ध विवाहित युगल अपने क्षेत्र के विवाह महानिबंधक के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे।

8. **विवाह निबंधक प्रमाण-पत्र** :- विवाह निबंधक विवाह निबंधन पंजी की प्रविष्टियों के आधार पर परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' में पति या पत्नी या दोनों को उनके अनुरोध करने पर विवाह निबंधक प्रमाण-पत्र निर्गत कर सकेंगे;

परन्तु जिन मामलों में विवाह के निबंधन में कोई भी आपत्ति प्राप्त हुई हो, उनमें निबंधन प्रमाण-पत्र विवाह उप महानिबंधक का मार्गदर्शन प्राप्त किये बिना निर्गत नहीं किया जायेगा और यदि विवाह उप महानिबंधक द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया हो कि कथित विवाह निबंधन नहीं किया जा सकता है, तो युगल को विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

9. **जाँच की शक्तियाँ** :- विवाह उप महानिबंधक एवं विवाह माहनिबंधक को इस नियमावली के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु जाँच करने के लिए आवेदकों, आपत्तिकर्त्ताओं और गवाहों को अपने द्वारा नियत स्थान एवं समय पर बुलाने के लिए वह सभी शक्तियाँ रहेगी जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त है।

10. **दंड की राशि का निस्तार** :- नियम 3 या 12 के अन्तर्गत प्राप्त दंड की राशि पंचायत निधि या नगर निकाय निधि का अंश होगी।

11. **नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण** :- सभी विवाह निबंधक, विवाह उप महानिबंधक एवं विवाह महानिबंधक इस नियमावली के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए निबंधन महानिरीक्षक के नियंत्रण के अधीन होंगे।

विवाह प्रतिवेदकों पर संबंधित विवाह निबंधक एवं नगर निकाय/ग्राम पंचायत का पूर्ण नियंत्रण रहेगा।

12. **दंड एवं शास्ति** :- (1) कोई व्यक्ति जो अपना विवाह इस नियमावली के अधीन विवाह सम्पन्न होने के 30 दिनों के अन्दर निबंधित नहीं कराता है वह रू०100/- दंड का भागी होगा। 90 दिनों तक भी विवाह निबंधित नहीं कराने की स्थिति में वह निबंधन में प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए रू 50/- प्रति माह की राशि जो अधिकतम रू1000/- होगी, के दंड का भागी होगा। वर एवं वधू दोनों के दंडनीय होने की स्थिति में दंड वर द्वारा भुगतेय होगा।

परन्तु युगल द्वारा नियम 1(5) के प्रावधान या 5(5) संबंधी मामलों में आवेदन पत्र समर्पित करने की स्थिति में कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो विवाह के निबंधन के आवेदन में जान-बुझकर त्रुटिपूर्ण घोषणा पत्र देता है या गवाह के रूप में हस्ताक्षर करता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अन्तर्गत कार्रवाई का भागी

होगा।

13. लोक सेवकों के विरूद्ध :- (1) विवाह निबंधक/विवाह प्रतिवेदक द्वारा विवाह निबंधन आवेदन स्वीकार नहीं करने, उसकी विवाह पंजी में प्रविष्टि नहीं करने और विवाह निबंधन के आवेदनों को प्रत्येक माह की पन्द्रहवीं तारीख तक विवाह उप महानिबंधक के कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें उनके निर्वाचित पद से हटाया जा सकेगा। इस नियमावली में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन हेतु विवाह प्रतिवेदक को एक लोक सेवक माना जायेगा।

(2) जो विवाह उप महानिबंधक अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, उनके विरूद्ध उन पर लागू सेवा नियमावली के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकेगी और इस आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा सकेगा।

14. अभिलेखों का संधारण :- (1) नगर निकायों/ग्राम पंचायतों द्वारा विवाह पंजी का स्थायी रूप से संधारण किया जायेगा। विवाह निबंधक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे इस पंजी को अपने कार्यालय उत्तराधिकारी को लिखित रूप से प्राप्त करायेंगे।

(2) विवाह उप महानिबंधक के कार्यालय में सूचनाओं का संधारण कम्प्यूटर पर किया जायेगा जिसकी हार्डकॉपी प्रत्येक वर्ष निकालकर जिल्द में संधारित की जायेगी जो कार्यालय का स्थायी अभिलेख होगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन लोक दस्तावेज के रूप में पढ़ा जायेगा।

15. निर्देश देने की शक्ति :- निबंधन महानिरीक्षक इस नियमावली के उचित क्रियान्वयन हेतु विवाह महानिबंधक, विवाह उप महानिबंधक और विवाह निबंधकों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश निर्गत कर सकेंगे।

परिशिष्ट

आवेदक की प्रति

प्रपत्र संख्या 'क-1'

विवाह निबंधन के लिए आवेदन

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन)

[देखें नियम 5(1)]

वर वधू का फोटोग्राफ

सेवा में,

विवाह निबंधक

.....

कृपया हमारा विवाह निबंधित करें जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं :-

क्र० सं०	विवरण	वर	वधू
1.	नाम		
2.	उम्र		
3.	पिता का नाम		
4.	माता का नाम		
5.	विवाह की तारीख को हैसियत	अविवाहित/विधुर/ तलाकशुदा/विवाहित	अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा
6.	पता		

7. विवाह (प्रतिज्ञान) सम्पन्न होने की तारीख.....स्थान.....

8. घोषणा :- (1) मैं वर .....एवं वधू .....ने अपनी रीति/वैयक्तिक नियम/विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अधीन दिनांक .....को .....(स्थान) में विवाह

किया है एवं तब से हम पति-पत्नि के रूप में साथ-साथ कर रहे हैं।

(2) हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त विवरण सही है।

वधू का हस्ताक्षर वर का हस्ताक्षर

वधू पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर वर पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

आवेदन सं०....................................../(पंचायत/प्रखंड/जिला का नाम) तारीख......................

(वार्ड/शहर/जिला का नाम)

प्रमाणित किया जाता है कि ....पिता..एवं

श्रीमति.......................................सुपुत्री.......................................ने (स्थान)............................ एवं दिनांक

......................................को सम्पन्न हुए उनके विवाह के निबंधन के लिए आवेदन दिया है।

इसे बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन संधारित इस पंचायत/वार्ड की विवाह पंजी में निबंधन संख्या ....दिनांक ....में निबंधित किया गया।

अथवा

इनके मामले को मार्गदर्शन के लिए उप विवाह महानिबंधक को प्रेषित किया गया।

विवाह निबंधक

विवाह उप महानिबंधक की प्रति

प्रपत्र संख्या 'क-2'

विवाह निबंधन के लिए आवेदन

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन)

[देखें नियम 5(1) एवं 5(3)]

वर-वधू का फोटोग्राफ

सेवा में,

विवाह निबंधक

....

कृपया हमारा विवाह निबंधित करें जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं :-

क्र० सं०	विवरण	वर	वधू
1.	नाम		
2.	उम्र		
3.	पिता का नाम		
4.	माता का नाम		
5.	विवाह की तारीख को हैसियत	अविवाहित/विधुर/ तलाकशुदा/विवाहित	अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा
6.	पता		

7. विवाह (प्रतिज्ञान) सम्पन्न होने की तारीख..................................स्थान.........................

8. घोषणा :- (1) मैं वर ....एवं वधू ....ने अपनी रीति/वैयक्तिक नियम/विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन दिनांक ....को ....(स्थान) में विवाह किया है एवं तब से हम पति-पत्नि के रूप में साथ-साथ रह रहे हैं।

(2) हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त विवरण सही है।

वधू का हस्ताक्षर वर का हस्ताक्षर

वधू पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर वर पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

तारीख.....

आवेदन सं०.....

श्री.....एवं श्रीमति.....ने

..... (स्थान) में ..... दिनांक को किये गये विवाह का दावा करते हुए अपने विवाह को निबंधित करने के लिए आवेदन दिया है। इस विवाह के संबंध में निम्नलिखित आपत्ति पर विवाह उप महानिबंधक का मार्ग निर्देश अपेक्षित है।

विवाह निबंधक

विवाह निबंधक की प्रति

प्रपत्र संख्या 'क-3'

विवाह निबंधन के लिए आवेदन

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन)

[देखें नियम 5(1) एवं 5(3)]

वर-वधू का फोटोग्राफ

सेवा में,

विवाह निबंधक

.....

कृपया हमारा विवाह निबंधित करें जिसके विवरण नीचे दिये गये हैं :-

क्र० सं०	विवरण	वर	वधू
1.	नाम		
2.	उम्र		
3.	पिता का नाम		
4.	माता का नाम		
5.	विवाह की तारीख को हैसियत	अविवाहित/विधुर/ तलाकशुदा/विवाहित	अविवाहित/विधवा/ तलाकशुदा
6.	पता		

7. विवाह (प्रतिज्ञान) सम्पन्न होने की तारीख.....स्थान.....

8. घोषणा :- (1) मैं वर .....एवं वधू .....ने अपनी रीति/वैयक्तिक नियम/विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन दिनांक .....को .....(स्थान) में विवाह किया है एवं तब से हम पति-पत्नि के रूप में साथ-साथ कर रहे हैं।

(2) हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी जानकारी एवं विश्वास में उपर्युक्त विवरण सही है।

वर का हस्ताक्षर

वधू का हस्ताक्षर

वर पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

वधू पक्ष के गवाह का हस्ताक्षर

आवेदन सं०...../पंचायत/प्रखंड/जिला का नाम तारीख.....

(वार्ड/शहर/जिला का नाम)

क्या निबंधित किया गया है? हाँ/नहीं

यदि हाँ तो निबंधन सं० एवं तारीख .....

यदि नहीं, तो (क) विवाह उप महानिबंधक को प्रेषित करने की तारीख.....

(ख) मार्गदर्शन प्राप्त होने की तारीख.....

(ग) मार्गदर्शन अभिलिखित करने की तारीख.....

विवाह निबंधक

प्रपत्र 'ख-1'

विवाह पंजी

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन)

[देखें नियम 5(4)]

पंचायत/वार्ड का नाम/संख्या..प्रखंड का नाम..............................जिला..................

क्र०सं०	मुखिया/वार्ड आयुक्त का नाम	पदस्थापन/प्रभार अवधि तारीख से	तारीख तक	नमूना हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

प्रपत्र 'ख-2

विवाह पंजी

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006) के अधीन)

[देखें नियम 5 (2) एवं 5(4)]

क्र.सं.	आवेदन सं०	विवाह निबंधन संख्या एवं तारीख	विवाह सम्पन्न होने की तिथि एवं स्थान	वर नाम, आयु स्थिति पिता का नाम माता का नाम एवं पता	वधू नाम, आयु स्थिति पिता का नाम माता का नाम एवं पता	आपत्ति यदि कोई हो	विवाह उप महानिबंधक का मार्ग निर्देश/ मंतव्य	विवाह निबंधक का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				अविवाहित/विधूर/तलाकशुदा/विवाहित	अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा			

प्रपत्र ग

क्रमांक..　　तारीख..................................

विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र

(बिहार विवाह निबंधन नियमावली, 2006 के अधीन)

(देखें नियम 8)

आवेदन सं०.../(ग्राम पंचायत/वार्ड/संख्या/प्रखंड शहर) बिहार

निबंधन संख्या ....　　दिनांक ....

एतद् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (वर)..पिता ....निवासी..एवं श्रीमति(वधू) ....का (स्थान) ....पिता ....निवासी..दिनांक.................................को सम्पन्न हुए विवाह को इस कार्यालय में [illegible] .... रित विवाह निबंधन पंजी में निबंधित किया जाता है।

विवाह उप महानिबंधक का मार्ग निर्देश इसकी पीठ पर अभिलिखित है।

हस्ताक्षर

विवाह निबंधक

(मुहर)